उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-5

संख्या-44/2023/3118/ सत्तर-5-2023-25/2019टी0सी0-18

लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) की धारा-27 के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करके राज्यपाल चयन की गुणवता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं सक्षम अध्यापकों/प्रशिक्षकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुस्पष्ट समुच्चय, जो आयोग द्वारा अपने कानूनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिये अपनाये जाने वाले प्रविषय, शिक्तयों, कृत्यों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, को स्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली, 2023

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

ாரிவாளர்

- 2 (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,
 - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) से है:
 - (ख) "समिति" का तात्पर्य आयोग या अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से गठित की गई समिति से है;
 - (ग) "परीक्षा" का तात्पर्य अध्यापक या अनुदेशक के चयन हेत् संचालित परीक्षा से है;
 - (घ) "साक्षात्कार" के अन्तर्गत मौखिक परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षा सम्मिलित है:

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (ङ) "अधिकारी" का तात्पर्य आयोग के अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं उप सचिव सम्मिलित हैं;
- (च) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव से है;
- (छ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;
- (ज) "ज्येष्ठतम सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य के रूप में अधिकतम कुल सेवा अविध वाले सदस्य से है। ऐसे मामलों में जहां दो या अधिक सदस्यों ने एक ही दिनांक को आयोग के भीतर अपनी भूमिकायें शुरू की हैं, ज्येष्ठता के निर्धारण के लिए उम निर्णायक मापदण्ड होगी।
- (झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और जो अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार की गयी हो;
- (ज) "रिक्ति" का तात्पर्य किसी अध्यापक या अनुदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, पदच्युति या हटाये जाने या नये पद के सृजन या किसी पदाधिकारी का किसी उच्चतर पद पर मौलिक रूप से पदोन्नित या नियुक्ति के परिणाम स्वरूप हुई रिक्ति से है:
- (2) इस में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-10, सन 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-20, सन 1921), उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-34, सन 1972),

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भवन एवं अन्य सिन्नर्माणकर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (अधिनियम संख्या-27, सन् 1996), या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023), उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली 2021, में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम तथा नियमावली में उनके लिए समन्देशित हैं।

अध्याय-दो आयोग का गठन और आयोग के कर्मचारी वर्ग

चयन मानदण्ड एवं प्रक्रिया

3 (1)

आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष के चयन हेतु एक तलाश समिति होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे:-

- (क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन अध्यक्ष
- (ख) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, 30 प्र0 शासन - सदस्य,
- (ग) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन-सदस्य,
- (घ) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, ५०प्र० शासन - सदस्य,
- (ङ) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन -सदस्य सचिव,
- (2) उक्त तलाश समिति:-
 - (क) अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर चयन के लिये सूची तैयार करेगी। अधिनियम की धारा-4 में उल्लिखित अर्हता के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र विज्ञापन के दिनांक से 25 दिन के भीतर

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- आनलाइन/आफलाइन आमंत्रित करेगी।
- (ख) अध्यक्ष/सदस्यों के पद हेतु रिक्तियों से सम्बंधित प्राप्त आवेदन-पत्रों/जीवन-वृत्तों (बायो डाटा) का विस्तृत परीक्षण करेगी जिसमें विशेष रूप से उनकी शैक्षिक अर्हतायें, प्रशासनिक अनुभव, शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य एवं उक्त अभ्यर्थियों की साख, सक्षमता एवं सत्यनिष्ठा का विवरण हो।
- (ग) अभ्यर्थियों की अर्हता एवं पृष्ठभूमि से सम्बंधित अभिलेखों का सत्यापन सम्बंधित संस्थानों से करायेगी एवं उक्त से सम्बंधित अभिलेखों को अभिलेखागार में रखा जायेगा।
- (घ) अभ्यर्थियों के जीवन-वृत्त के परीक्षणोपरान्त जहां तक सम्भव हो आयोग के अध्यक्ष पद हेतु यथासम्भव 05 अभ्यर्थियों के नाम तथा सदस्य पद हेतु रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष यथासम्भव 03 गुना की सिफारिश की संस्तुति करेगी, किन्तु यदि किसी नाम पर तलाश समिति के 02 सदस्यों द्वारा आपित की जाती है तो सम्बंधित अभ्यर्थी का नाम अल्पसूची (शार्टलिस्ट) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा.
- (3) अध्यक्ष/सदस्य के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु तलाश समिति की सिफारिश के अनुसार सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
- (4) अधिनियम की धारा-3 के अधीन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन के पूर्व प्रस्तावित नामों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी,

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (क) भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य राज्यों के सेवारत अधिकारियों को चयनित करने पर उनके संबंधित विभाग से अनापति प्रमाण-पत्र तथा सतर्कता जाँच/विभागीय कार्यवाही प्रचलित न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा;
- (ख) भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य राज्यों के ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, को नियुक्ति दिए जाने के पूर्व उनके पूर्ववृत्त की सूचना सम्बंधित विभाग अथवा अन्य स्रोतों से, जैसा उपयुक्त समझा जाय, प्राप्त की जायेगी;
- (ग) राज्य या राज्य के बाहर की शिक्षण संस्थाओं के शिक्षाविदों के मामले में उनके पैतृक निवास स्थान के साथ-साथ वर्तमान निवास स्थान से सम्बंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जो सम्बंधित जिला के जिला मंजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी,
- (घ) राज्य या राज्य के बाहर के ऐसे गैर-सरकारी व्यक्तियों के मामले में उनके पैतृक निवास स्थान तथा वर्तमान निवास स्थान से सम्बंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से उनके चिरत्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जो सम्बंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी,
- (5) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आदेश तभी जारी किये जायेंगे यदि उपरोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किये गये चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सम्बंध में रिपोर्ट संतोषजनक पायी जाये।

कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होने या बने रहने के लिये अपात्र होगा, यदि वह,-

अनर्हता

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय-निर्णीत किया गया हो: या
- (ख) अपनी पदाविध के दौरान, अपने पद के कर्तर्थों से परे किसी संदत्तसेवायोजन में अभिनियोजित हो; या
- (ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या
- (घ) वह किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता हो, सिद्ध-दोष ठहराया गया हो;
- (ङ) वह संसद या किसी राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो:
- (च) वह भारत का नागरिक न हो, या उसने स्वेच्छा से या अन्यथा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या उसके प्रति निष्ठा या अनुरक्ति को अभिस्वीकार किये हुए हो।

5

कदाचार का अन्वेषण

किसी अध्यक्ष या सदस्य के लिए अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-2 में निर्दिष्ट कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

- (1) जहाँ किसी शिकायत पर या अन्यथा राज्य सरकार का, चाहे आरम्भिक जाँच करने के पश्चात् या अन्य प्रकार से, यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्ट्या कदाचार का मामला बनता है, वहाँ वह सम्बंधित सदस्य या अध्यक्ष को या तो बिना शर्त के पद से त्याग-पत्र देने या अन्वेषण का सामना करने का विकल्प देगी।
- (2) यदि ऐसा विकल्प देने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कोई बिना शर्त त्याग-पत्र प्राप्त न हो तो राज्य सरकार, जाँच अधिकारी

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

नियुक्त कर सकती है जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश होगा या ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये पात्र हो।

- (3) जाँच अधिकारी सम्बंधित सदस्य या अध्यक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, जाँच पूरी होने के 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। जांच के दौरान सम्बन्धित सदस्य या अध्यक्ष को कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं आवंटित किये जायेंगे।
- (4) ऐसी जाँच करने में जाँच अधिकारी जाँच के नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग-दर्शित होगा और जाँच की प्रक्रिया से सम्बन्धित औपचारिक नियमों द्वारा आबद्ध नहीं होगा।
- (5) उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4 सन् 1976) के उपबन्ध ऐसी जाँच पर लागू होंगे।
- (6) यदि विचारण के अनुक्रम के दौरान किसी कारण से जाँच अधिकारी बदल दिया जाय तो नये जाँच अधिकारी के लिये नये सिरे से जाँच प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं होगा और जाँच उस चरण से जारी रखी जा सकती है जिस चरण पर जाँच अधिकारी बदला गया हो।
- (7) इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन जाँच अधिकारी को जाँच की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अन्तर्गत उसकी बैठक का स्थान और समय निर्धारित करना और यह निश्चय करना भी है कि जाँच सार्वजनिक रूप से या कैमरे की निगरानी में की जानी चाहिये।

अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग 6 (1)

राज्य सरकार द्वारा आयोग में एक सचिव. जो विशेष सचिव से अनिम्न रैंक आई०ए०एस०/पी०सी०एस० अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक (ग्रेड वेतन 7600 पे-लेवल 12 के समकक्ष या से ऊपर), एक वित नियंत्रक (ग्रेड वेतन 8700/- पे-लेवल 13 के समकक्ष या से ऊपर). उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का एक विधि अधिकारी (ग्रेड वेतन 7600/- पे-लेवल 12 के समकक्ष या से ऊपर), एक वित्त एवं लेखाधिकारी (ग्रेड वेतन 5400/- पे-लेवल 10 के समकक्ष या से ऊपर), बाह्य प्रदाता प्राप्त एक कम्प्यूटर एवं आई0टी0 समन्वयक और चार उप सचिव (ग्रेड वेतन 6600/- पे-लेवल 11 के समकक्ष या से ऊपर) अनिधक तीन वर्ष की अविध के लिए प्रतिनिय्क्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे। आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार उक्त पदों एवं वेतनमानों को घटा एवं बढ़ा सकती है।

(2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रत्येक पूर्ण कालिक कर्मचारी की सेवायें आयोग को अन्तरित हो जायेंगी। वेतन, अन्य भते, चयन वेतनमान एवं पदोन्नति, पेंशन, उपदान (ग्रैच्युटी), पारिवारिक पेंशन, समस्त प्रकार के अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा स्विधाएं एवं

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

लाभ आदि, अवकाश नगदीकरण बोनस, अवकाश यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) आदि, सेवा निवृत्ति की आयु तथा सेवा निवृत्ति के अन्य समस्त नियम जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा प्रवृत्त हैं अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, आयोग के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सरकारी सेवकों के भवन निर्माण/मरम्मत, वाहन क्रय आदि के लिए अग्रिम की समस्त सुविधाएं उ०प्र० शिक्षा सेवा चयन आयोग कर्मचारियों को भी देय होगी।

(3) आयोग अन्तरित सेवारत कार्मिकों का आवश्यकतानुसार उपयोग करेगा।

अवकाश

- (1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण उसी अवकाश के हकदार होंगे जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के
 - लिये अनुमन्य हैं।
 - (2) आयोग के अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग उसी अवकाश के हकदार होंगे जैसा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी के लिये अनुमन्य है।

अध्याय-तीन आयोग की कार्य संचालन की प्रक्रिया

बैठके

8 (1)

जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाय, आयोग की बैठक साधारणतया प्रत्येक मंगलवार को होगी और यदि वह कार्य-दिवस न हो तो मंगलवार के ठीक अनुवर्ती कार्य दिवस को होगी। यद्यपि अध्यक्ष, किसी भी समय, यदि आवश्यकता पड़ती है या यदि कम से कम दो सदस्य

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उसके लिये लिखित रूप में अधियाचन प्रस्तुत करें तो आयोग की असाधारण बैठक आहूत कर सकता है। सचिव द्वारा सदस्यों को असाधारण बैठक के लिए कम से कम चौबीस घण्टे अग्रिम रूप से सूचना दी जायेगी,

- (2) प्रत्येक बैठक का दिनांक और समय, अध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सचिव द्वारा संसूचित किया जायेगा।
- (3) सचिव, बैठक की कार्य सूची तैयार करेगा और अध्यक्ष द्वारा उसे अनुमोदित करायेगा और उसे प्रत्येक सदस्य को बैठक की नोटिस के साथ भेजेगा,
- (4) आयोग की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों की आधी संख्या से होगी।

परन्तु यह कि गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

- (5) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थित में, उपस्थित ज्येष्ठतम-सदस्य, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा। आयोग के सदस्य की ज्येष्ठता, राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार अवधारित होगी। यदि दो या अधिक सदस्य एक ही दिनांक को पद ग्रहण करें तो राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार ज्येष्ठता में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।
- (6) यथासम्भव, बैठक में लिया गया विनिश्वय सर्वसम्मत से होगा। किसी मतभेद की स्थिति में आयोग का विनिश्वय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बह्मत से किया

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

जायेगा। यदि मत समान हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। असहमति प्रकट करने वाला सदस्य अपनी असहमति की टिप्पणी अभिलिखित कर सकता है, जो बैठक की कार्यवाही का भाग होगी।

- (7) जब अध्यक्ष छुट्टी पर रहने के कारण अनुपस्थित हो या आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तब ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा। परन्तु यह कि ऐसे मामलों की सूची, जिनपर अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान कोई विनिश्चय किया गया हो और जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी हो यथास्थिति उनके अवकाश से वापस आने या अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने पर उनके समक्ष रखी जायेगी।
- (8) अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य आयोग के दिन-प्रतिदिन कृत्यों का सम्पादन करेगा।
- (9) अध्यक्ष को आयोग की पूर्व अनुसूचित बैठक को किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (10) यदि अध्यक्ष की राय है कि आयोग द्वारा किया जाने वाला कार्य अत्यधिक है और आयोग की बैठक सुविधानुसार नहीं बुलायी जा सकती है, तो प्रस्ताव के रूप में प्रचलित विषय द्वारा सदस्यों की राय माँग सकता है। यदि अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी सदस्य से राय प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे सदस्य को प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जायेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कार्य आवंटन की प्रक्रिया और समितियों का गठन

9

- (1) (क) आयोग, कार्य आवंटन समिति के माध्यम से समय-समय पर अपने सदस्यों में कार्य का आवंटन करेगा। अध्यक्ष अत्यावश्यक मामलों में किसी सदस्य को कोई कार्य आवंटित कर सकता है और अपनी अगली बैठक में आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।
 - (ख) आयोग अपने कार्य के सुविधाजनक और शीघ्र संचालन के लिए समिति या समितियों का गठन कर सकता है और किसी विनिर्दिष्ट कृत्य के सम्पादन या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के संचालन के लिए किसी सदस्य को प्राधिकृत कर सकता है।
- (2) उपनियम 1 के खण्ड (क) के अधीन किये गये कार्य आबंटन में संशोधन, परिवर्तन या उपान्तर जब कभी आवश्यक समझा जाय, किया जा सकता है।
- (3) आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य समिति का संयोजक होगा।
- (4) उन मामलों के होते हुये भी जिनमें आयोग ने अन्यथा निदेश दिया है, अन्य मामलों में समिति का विनिश्चय आयोग के अनुमोदन के अधीन होगा।

परीक्षा समिति की शक्तियां एवं 10 (1) कर्तव्य

आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। परीक्षा समिति में आयोग का अध्यक्ष, आयोग का वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव होंगे। आयोग का अध्यक्ष ही परीक्षा समिति का चेयरमैन होगा।

(2) परीक्षा समिति, अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगी जो आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नियमों, या आदेशों के अधीन

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उसे सौपें जाय।

- (3) परीक्षा समिति का चेयरमैन परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।
- जब तक अन्यथा विहित न हो, (4) परीक्षाओं से संबन्धित समस्त संविदायें लिखित रूप में होगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षा सम्बंधी अभिलेख आयोग के निमित्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक अधिप्रमाणित किये जायेंगे किन्त् चेयरमैन के आदेश से जारी किये जायेंगे। ऐसे समस्त अभिलेख चेयरमैन के अन्देश पर सचिव/परीक्षा नियत्रंक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।
- (5) ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध परीक्षा समिति के द्वारा आयोग के परामर्श से और ऐसे निदेशों के अनुसार किये जायेंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये जाय।

साक्षात्कार बोर्ड का गठन

11 (1)

आयोग विभिन्न पदों या पदों के श्रेणियों, जिनके लिये साक्षात्कार आयोजित होना है, के लिये पृथक साक्षात्कार बोर्ड गठित करेगा और जहाँ किसी विशेष पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन कर सकता है:

- (2) जब कभी एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाता है वहाँ ऐसे साक्षात्कार बोर्ड की संरचना में चक्रानुक्रम द्वारा, उतनी बार जितनी बार वह उचित समझे, परिवर्तन कर सकता है;
- (3) किसी साक्षात्कार बोर्ड में कम से कम एक

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सदस्य और दो विशेषज्ञ होंगे, किन्तु आयोग, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी साक्षात्कार बोर्ड में एक से अधिक सदस्यों या दो से अधिक विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं के अध्यापकों के चयन हेतु साक्षात्कार बोर्ड गठित करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व सुनिश्वित करने के लिए प्रक्रिया विहित करेगा;

परन्तु यह कि जहाँ किसी चयन के लिये आमंत्रित विशेषज्ञ ने अपनी असमर्थता व्यक्त की हो या आने में अन्यथा विफल रहा हो और पैनल से किसी अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के लिये पर्याप्त समय न हो, वहाँ आयोग द्वारा विहित अर्हताओं को रखने वाले किसी अन्य उपलब्ध विशेषज्ञ को अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव आमंत्रित कर सकता है,

- (4) साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगाः
- (5) साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आनलाइन संसूचना आयोग की वेबसाइट/ई-मेल/एस0 एम0एस0 पर एवं समाचार पत्रों में निर्मोचित करने से 10 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।
- (6) यदि कोई सदस्य साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को साक्षात्कार संचालित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस तथ्य से ऐसे साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियाँ और उसके द्वारा किये गये चयन अविधिमान्य नहीं होंगे; साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित ज्येष्ठतम-सदस्य

बोर्ड

की

अध्यक्षता

करेगा।

साक्षात्कार

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिये यथाशक्य शीघ्र रखी जायेगी तत्पश्चात् संस्तुति जारी की जायेगी। ऐसा अनुमोदन परिचालन द्वारा आयोग की किसी बैठक में प्राप्त किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का पैनल

12 (1)

आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड के लिए विषयवार विशेषज्ञों का पैनल विहित प्रक्रियानुसार उन व्यक्तियों में से तैयार किया जायेगा जो निम्नलिखित में हो या रह चुके हों:

(एक) राज्य शिक्षा सेवा का सदस्य;

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का आचार्य, सह-आचार्य या सहायक आचार्य, किन्तु किसी सह-आचार्य और सहायक आचार्य के मामले में, उसे इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(तीन) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्व सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यः

(चार) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्ध सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक आचार्य या प्राध्यापक, जिन्हें इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए:

(पाँच) राजकीय स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(छः) राजकीय स्नातक या स्नातकोत्तर

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

महाविद्यालय के सहायक आचार्य या प्राध्यापक, जिन्हें इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(सात) राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य (इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के साक्षात्कार हेत्),

(आठ) व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य श्रेणी-1, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षणार्थी/शिक्षु) अथवा अपर निदेशक (प्रशिक्षणार्थी/शिक्षु)

- (2) उप नियम (1) के अधीन तैयार किये गये विशेषज्ञों के पैनलों से विशेषज्ञों का चयन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा,
- (3) विशेषज्ञों के पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उसे सचिव द्वारा या उसके विनिर्दिष्ट निदेश या आदेश के अधीन किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा मुहरबन्द लिफाफा में निरापद अभिरक्षा में रखा जायेगा और अध्यक्ष के लिखित मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) उप नियम (1) के अधीन गठित विशेषज्ञों का पैनल यथासम्भव प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जायेगा। परन्तु यह कि पूर्व सूची में सम्मिलित कोई भी व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये पात्र होगा,
- (5) किसी साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने वाले विशेषज्ञ को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विहित दर से अनधिक ऐसी दर पर

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, पारिश्रमिक और तत्समय राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुसार यात्रा भता संदत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के बाहर से विशेषज्ञों को अनुमन्य वायुयान किराया अध्यक्ष के अनुमोदन से दिया जायेगा।

अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य

- 13 (1)
- अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष, आयोग की प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और वितीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, और
- (क) उन समितियों की जिनका वह सदस्य हो समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा:
- (ख) आयोग और उसके सदस्यों की कार्य प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा:
- (ग) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने और यात्रा भता बिलों को पारित करने के प्रयोजनों के लिए सदस्यों का नियन्त्रक अधिकारी होगा;
- (घ) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की कार्य प्रणाली पर पर्यवेक्षण करने की शक्ति रखेगा।
- (2) यदि अध्यक्ष अपने अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सदस्य को ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसे समस्त विषय जिनके संबंध में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की अविध के दौरान विनिश्चय या कार्यवाही की जा चुकी है, जैसे ही वह अपने पद का कार्यभार पुनः ग्रहण करता है, उसके समक्ष सूचना के लिए रखे जायेंगे।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

सदस्यों की शक्ति और कर्तव्य 14

अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और आयोग के विनिश्वयों के अध्यधीन, कोई सदस्य पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन में अध्यक्ष की सहायता करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा समानुदेशित किये जायं।

सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य 15 (1)

सचिव, आयोग के कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान होगा और अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आयोग तथा अध्यक्ष के विनिश्वयों के उपबन्धों के अनुसार कृत करेगा,

- (2) वह आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग का नियंत्रक अधिकारी होगा और उनके कर्तव्य समनुदेशित करेगा,
- (3) ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, जिनका आयोग नियुक्ति प्राधिकारी है, सचिव द्वारा आयोग के पूर्वानुमोदन से अधिनियम की धारा-28 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार की जायेगी,
- (4) सचिव निम्निलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-एक- आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों के अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
 - दो- आयोग को अपनी सूचना और सन्दर्भ के लिए शीर्षकवार व्यय की रिपोर्ट का त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण;
 - तीन- आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात राज्य सरकार को

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रस्तुत करना;

- चार- आयोग या अध्यक्ष द्वारा सौपे गये किसी कार्य का निर्वहन करना;
- पांच- साक्षात्कार संबंधी समस्त कार्यो को आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-28 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार करेगा;
- छः- चयनित अभ्यर्थियों के नाम और चयन के अभिलेखों का अनुरक्षण।
- परीक्षा नियन्त्रक की शक्तियां एवं 16 (1) कर्तव्य

परीक्षा नियत्रंक, आयोग की परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के सूल्यांकन संबंधी समस्त कृत्यों का नियंत्रक प्राधिकारी होगा और आयोग एवं परीक्षा समिति के विनिश्चयों के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा।

- परीक्षा नियत्रंक निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा-
 - एक- परीक्षा केन्द्रों, केन्द्र अधीक्षकों तथा कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था;
 - दो- परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवंटन एवं प्रवेश पत्र की व्यवस्था;
 - तीन- आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापन के प्रक्रम से चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अग्रसारित करने के प्रक्रम तक पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाहियाँ;
 - चार- आवेदन पत्रों की समुचित और समय से संवीक्षा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्त नियन्त्रक की शक्तियां एवं 17 कर्तव्य वित्त नियत्रंक, आयोग के विनिश्चयों और अध्यक्ष के विनिश्चय के अनुसार शासकीय नियमों के अधीन लेखा से संबंधित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा सचिव के माध्यम से आयोग को उसकी सूचना और शीर्षकवार व्यय की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण करेगा।

उप सचिव की शक्तियां एवं 18 कर्तव्य उप सचिव, आयोग और अध्यक्ष के विनिश्वयों के अनुसार कार्य करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में या सचिव का पद रिक्त होने पर उसके समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन परीक्षा नियन्त्रक द्वारा किया जायेगा।

आयोग का कार्यालय समय तथा 19 (1) अवकाश

आयोग का कार्यालय समय 10.00 बजे प्रातःकाल से 5.00 बजे सायंकाल तक होगा। सप्ताह में छः दिन का कार्य दिवस होगा तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों से भी आच्छादित

होगा। 3) यदि समीर्च

(2)

यदि कार्य के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को कार्यालय समय के पूर्व या पश्चात कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।

(4) आयोग के अन्य अवकाश के दिन वही होंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के होंगे।

अध्याय-चार अर्हता (अध्यापक/अनुदेशक की अर्हताएं)

राष्ट्रीयता

20

अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी, नागरिकता अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

भारत का नागरिक हो ।

आयु

21 (1)

अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें यथास्थिति, आयोग द्वारा रिक्तियाँ विज्ञापित की जायें, सम्बन्धित अधिनियमों/ सेवानियमावली/ विश्वविद्यालय परिनियमावली/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होंगी।

(2) उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक 22 अर्हतायें/आरक्षण/अधियाचन किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवृत सुसंगत अधिनियमों/ सेवानियमावली/विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। प्राधिकृत अधिकारी, भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा।

चरित्र 23

अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए. अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होगा कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। आयोग इस संबंध में अपना समाधान करेगा। टिप्पणी:-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ किसी राज्य सरकार स्वामित्वाधीन नियन्त्रणाधीन या निगम या निकाय द्वारा पदच्य्त व्यक्ति

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 24

किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित प्रतियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित प्रती हो;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

25 (1)

यथास्थिति किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर चयन के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

(2) किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

बालिका/महिला संस्था में पुरुष 26 अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रतिषेध कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका/महिला संस्था में किसी अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अध्याय-5 भर्ती की प्रक्रिया

भर्ती का स्रोत

27

अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो सम्बन्धित अधिनियमों/ सेवा नियमावली/विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित हैं।

रिक्तियों का अवधारण और 28 (1) अधिसूचित किया जाना नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, सीधी भर्ती के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और रिक्तियों को, यथास्थिति, निदेशक (उच्च शिक्षा) या निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) या निदेशक (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन) या महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से आयोग को यहां दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष के अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्तियों का विवरण भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जायेगा और प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने के पश्चात प्रत्येक श्रेणी के पदों की रिक्तियों के बारे में विषयवार एवं आरक्षण श्रेणीवार रिक्तियों का समेकित विवरण तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसी भर्ती वर्ष के 31 जुलाई तक आयोग को भेजा जायेगा।

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करना समीचीन है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के संबंध में आयोग को रिक्तियाँ अधिसूचित किये जाने के लिए कोई अन्य दिनांक नियत कर सकती है।

यदि, उप-नियम (2) के अधीन रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के पश्चात अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर कोई रिक्ति होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी इसके होने के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त उपनियम के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को अधिसूचित करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को अधिसूचित करेगा और प्राधिकृत अधिकारी उसे प्राप्त करने के दस दिन के भीतर आयोग को भेज देगा।

(3)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) जहाँ, भर्ती के किसी वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक तक रिक्तियां अधिसूचित नहीं करता या उक्त उपनियम के अनुसार उन्हें अधिसूचित करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसी संस्था में रिक्तियों को अवधारित करेगा और उक्त उपनियम में निर्दिष्ट रीति से और दिनांक तक आयोग को अधिसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के अधीन आयोग को अधिस्चित की गई ऐसी रिक्तियां संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिस्चित की गयी समझी जायेगी।

अधिस्चित रिक्तियों के पदों को एकल स्थानान्तरण द्वारा नहीं भरा जायेगा,

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में यदि एकल स्थानान्तरण आवश्यक हो तो यथा संभव शीघ्र, उक्त प्रक्रिया को आयोग के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक होगा और एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद निदेशक द्वारा अधिसूचित पदों में सम्मिलित माना जायेगा और यह रिक्ति भी उसी चयन प्रक्रिया से आच्छादित रहेगी। चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद किसी भी दशा में एकल स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

आयोग, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और अन्य

रिक्तियों की अधिसूचना तथा 29 (1) आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आरक्षित श्रेणियों जैसा कि सरकारी सेवाओं में समय-समय पर लागू हो, के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में करेगा, जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, और चयन हेत् विचार किये जाने के लिए आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसी विज्ञप्ति आयोग अपनी बेवसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।

यदि तीन वर्ष के अन्दर विज्ञापित पदों के (2)

सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापकों के चयन हेत् विज्ञापन के लिए रिक्तियों की सूचना अलग से प्रकाशित की जायेगी और उनकी चयन प्रक्रिया में. साक्षात्कार बोर्ड सम्दाय से अल्पसंख्यक एक प्रतिनिधि को अतिरिक्त रूप से रखा जायेगा।

(1)

आयोग आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के सम्बंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में दो घण्टे के कालावधि का एक वस्त्निष्ठ प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान एवं सम्बन्धित वैकल्पिक विषय) होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90 प्रतिशत अंक तथा 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए होगा। जहाँ साक्षात्कार नही होगा वहाँ लिखित परीक्षा पूर्णांक का शतप्रतिशत अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केन्द्रो का निर्धारण किया जायेगा और निरीक्षकों को मानदेय ऐसे दर पर संदत किया जायेगा, जैसा आयोग द्वारा नियत किया जाय।
- (3) लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या:15/24/2018-का0-4-2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अवधारित किये जायेंगे।
- (4) स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (ए.पी.आई.) के अंक एवं साक्षात्कार के अंको को समेकित कर योग्यताक्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (सामान्य ज्ञान एवं प्रशासनिक अभिक्षमता) होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित मानकों के अधीन ए०पी०आई की गणना की जायेगी।
- (5) आयोग, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त किये परीक्षक से या कम्प्यूटर द्वारा करायेगा और परीक्षक को मानदेय, आयोग द्वारा नियत किये जाने वाले दर पर संदत्त किया जायेगा।
- (6) जहाँ साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है वहाँ साक्षात्कार के लिए 10 प्रतिशत अंक रखे जायेंगे। साक्षात्कार अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्वान्त यह होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व परीक्षण एवं अभिव्यक्ति की योग्यता के दृष्टिगत साक्षात्कार के अंक दिये जायेंगे।
- (7) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने तक जैसा आयोग उचित समझे, होगी, अन्तिम अंक (कटआफ) प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

- (8) साक्षात्कार बोर्ड में विषय विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर अंक साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।
- (9) चयन की निष्पक्षता एवं शुचिता को बनाये रखने के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया के अन्तिम परिणाम से पूर्व अभ्यर्थियों के अंक प्रकट नहीं किये जायेंगे।
- अध्यापक अथवा अन्देशक के जिन पदों पर (10)साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है उसमें आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त ह्ये अंकों को जोड़कर और जहाँ केवल लिखित परीक्षा होना है उसमें आयोग मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर विज्ञापन के सापेक्ष मेरिट क्रम से जो अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायें, उनका एक पैनल तैयार करेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के अंक देखे जायेंगे तथा लिखित परीक्षा के भी अंक समान होने पर साक्षात्कार में प्राप्त अंको को देखा जायेगा। दोनों के भी अंक समान होने अनिवार्य अर्हता का अधिकतम प्रतिशत/पी०एच०डी० और जे०आर०एफ०. नेट और पी०एच0डी०, जे0आर०एफ०, नेट, पी०एच०डी० को देखा जायेगा एवं सभी समान होने पर अन्त में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक देखे जायेंगे। यदि लिखित परीक्षा.

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

साक्षात्कार तथा अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान है तो उस अभ्यर्थी का नाम जो अधिक आयु का हो, उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों के नामों की 31 (1) सूचना आयोग अधियाचन भेजने वाले प्राधिकृत अधिकारी को, विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के उपनियम (10) के अनुसार तैयार पैनल अग्रसारित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी इसे संस्था आवंटन के पश्चात इस निमित्त प्राधिकृत संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को भेजेंगे। संस्था आवंटन निम्नलिखित रीति से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा:-

- (क) अधिस्चित रिक्तियों की स्चना विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से आनलाइन पाँच संस्थाओं की अधिमानता ली जायेगी;
- (ख) वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था में उसका आबंटन होगा। जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आबंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आबंटित की जा चुकी हैं और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी उसको कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे आबंटित कर सकता है।
- (2) (क) प्राधिकृत अधिकारी नियम 31 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (ख) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुति की प्राप्ति के एक माह के भीतर अनुपालन करने की सूचना निदेशक को देगा।
- (ग) प्राधिकृत प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थी का नाम संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को, जिसने रिक्ति को अधिस्चित किया है, ऐसे निर्देश के साथ स्चित करेगा कि नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाय।
- निय्क्ति का आदेश अभ्यर्थी को इस निदेश के साथ प्रेषित किया जायेगा कि वह निय्क्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी से निय्क्ति के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जो, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से निय्क्ति के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से अनधिक 30 दिन हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे अन्मन्य किया जाय, निय्क्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करे और यह भी सूचित किया जायेगा कि विहित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहने पर उसकी नियक्ति रद्द किये जाने हेत् दायी होगी।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा इस निमित्त प्राधिकृत संस्था का अधिकारी,

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

ऐसे नियुक्ति पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

- (5) निदेशक, अनुश्रवण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करे और इस प्रयोजन के लिये वह नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
- (6) जहाँ आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी त्रुटिपूर्ण अधियाचन या सेवा काल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति या माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति के कारण आवंटित संस्था में पद ग्रहण नहीं कर सका, तो ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-
 - (क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को प्रभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना अभ्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा:
 - (ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;
 - (ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर. आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात चयनित पैनल/सूची सम्बन्धित विभाग के निदेशक को प्रेषित करेगा;

(घ) उपनियम (४) के खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर, सम्बंधित विभाग के निदेशक अधिनियम की धारा-11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को प्रभार देने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को निदेशित करेंगे।

अध्याय-6 लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य प्रकीर्ण कार्य

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 32 (1)

लिखित परीक्षा के आधार पर, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंको में से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा यथासम्भव 90 प्रतिशत तक अधिकतम अंक दिये जा सकते हैं।

- (2) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से,
 एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिए
 अभ्यर्थियों की संख्या एवं प्रतिदिन संचालित
 होने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा
 आवश्यकतानुसार विनिश्चय किया जायेगा।
- परीक्षकों और प्राक्षिकों (पेपर 33 (1) सेटर्स) इत्यादि की सूची

परीक्षा समिति का चेयरमैन प्रत्येक विषय के लिए, परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा और इसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूची प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जायेगी:

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती सूची में सम्मिलत कोई व्यक्ति प्नरीक्षित सूची में

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) उपधारा-1 में निर्दिष्ट सूची में, यथासम्भव, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के बारे में उनकी शैक्षिक अर्हताओं, उपाधि और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव या वृतिक अनुभव से संबंधित सूचना अन्तर्विष्ट होगी और आयोग द्वारा संचालित ऐसी पूर्व परीक्षाओं का विवरण अन्तर्विष्ट होगा जिसमें उन्होंने परीक्षक के रूप में कार्य किया हो।

उन्होंने परीक्षक के रूप में कार्य किया हो।

(3)

परीक्षा समिति का चेयरमैन आयोग के पूर्व

अनुमोदन से, उपधारा-1 में निर्दिष्ट सूची में

सम्मिलित व्यक्तियों में से प्राक्षिकों और

अनुसीमकों की नियुक्ति करेगा।

ऐसी नियुक्तियां करने में, प्रत्येक तरह से यह स्निश्वित करने के लिए सावधानी बरती जायेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त न कर दिया जाये जो विश्वविद्यालय, सरकार या शासी निकाय द्वारा अवचार का दोषी पाया गया हो या जिसके विरुद्ध अवचार के अभिकथन पर कोई जाँच अनवेषण लंबित हो, जिसकी या सत्यनिष्ठा सन्देहपूर्ण हो। कोई जिसका कार्य प्रधान परीक्षक, प्राश्विकों या मूल्यांकनकर्ता के रूप में आयोग द्वारा असन्तोषजनक पाया जाय, उक्त प्रयोजन के लिए पुनः नियुक्त नही किया जायेगा।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रश्न-पत्र को तैयार, अनुसीमन एवं 34 (1) मुद्रण करना प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन भिन्न-भिन्न प्राश्विकों द्वारा जो एक ही स्थान से सम्बंधित नहीं होंगे, तैयार किया जायेगा।

- (2) प्राक्षिकों से प्राप्त मुहरबन्द प्रश्न-पत्र परीक्षा समिति के चेयरमैन की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।
- (3) तीनों प्राश्विकों से प्राप्त प्रश्न-पत्रों के अन्तर्विष्ट मुहरबन्द लिफाफे को रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन द्वारा सम्बंधित अनुसीमकों को सौंप दिया जायेगा।
- (4) अनुसीमक समस्त तीन प्रश्न-पत्रों का अनुसीमन करेगा, आवरण पर बिना कोई पहचान चिह्न बनाये अपनी मुहर लगाकर उसको अलग-अलग आवरण में रखेगा और उन्हें रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन को सौंप देगा।
- परीक्षा समिति का चेयरमैन किसी विषय के किन्हीं भी दो अनुसीमित प्रश्न-पत्र को म्हरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में मुद्रणालय को भेज देगा, जो प्रश्न-पत्रों का मुद्रण करने, जिसमें प्रूफ रीडिंग सम्मिलित है, और परीक्षा समिति द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रश्न-पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा। (6) मुद्रणालय तथा चेयरमैन प्रश्न-पत्रो गोपनीयता बनाये रखने के लिये, उत्तरदायी होगा और परीक्षा समिति का चेयरमैन ऐसी गोपनीयता स्निधित करने के लिए आवश्यक निदेशों को जारी करेगा और आवश्यक

सावधानी बरतेगा।

ओ०एम०आर० शीट की मुद्रण एवं 35 (1) उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन आफलाइन परीक्षा संचालित करने के आयोग के विनिश्वय पर ओ०एम०आर० शीटों का

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मुद्रण एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पृथक रूप से किसी प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा कराया जायेगा। ऐसे अभिकरण की नियुक्ति करते समय इस बात की विशेष सावधानी रखी जायेगी कि उक्त अभिकरण रिजस्ट्रीकृत हो तथा उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो।

- (2) उक्त अभिकरण की नियुक्ति परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य (चेयरमैन से भिन्न) द्वारा की जायेगी जो ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा दिये गये समस्त निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी तथा उस कार्य की गोपनीयता से सम्बंधित समस्त उत्तरदायित्व संस्था एवं ज्येष्ठतम सदस्य की होगी।
- (3) ओ०एम०आर० शीटों का मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य कार्य उपरोक्त नियुक्त किये गये संगठन द्वारा किया जायेगा तथा सम्बंधित प्रपत्र मुहर बन्द लिफाफे में परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य को संगठन द्वारा प्रदान कराया जायेगा।
- (4) आयोग जिन परीक्षाओं को आनलाइन कराने का विनिश्चय करता है उस सम्बंध में अपनी प्रक्रिया निर्धारित करके अवधारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

तमर्थन 36

किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न, किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से स्वयं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

37 (1) प्रत्येक अभ्यर्थी, आयोग को ऐसे परीक्षा शुल्क शुल्क का भ्गतान करेगा जैसाकि आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर अवधारित किया जाय। परीक्षा शुल्क ऑन-लाइन अथवा आयोग के (2) सचिव को देय रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगी, या जैसा आयोग द्वारा सविस्तार वर्णित किया जाय। परीक्षा संचालन 38 (1) परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध ऐसे निदेशों के अनुसार किये जायेंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये जायें। आयोग ऐसी परीक्षाओं के सम्चित और (2) समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को

> आज्ञा से, (एम0पी0 अग्रवाल) प्रमुख सचिव।

जायेंगे।

बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्त संविदायें लिखित रूप से होंगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षाओं से सम्बंधित अभिलेख परीक्षा नियंत्रक की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan Uccha Shiksha Anubhag-5 No. 44/2023/3118/Sattar-5-2023-25/2019 T.C.-18

Lucknow; Dated: 13 December, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers under section 27 of the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023 (U.P. Act no.15 of 2023), the Governor is pleased to make the following rules with a view to select able and worthy teachers/trainers while ensuring the quality of selection, impartiality and transparency and to establish an unambiguous set of guidelines that delineate the scope, powers, functions, and procedures to be followed by the Commission to discharge its statutory obligations.

Chapter – I Preliminary

Short	title	and		
commencement				

- **(1)**
- These rules may be called the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Rules, 2023.
- They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Definitions

- 2 (1)
- In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context,-
- (a) "Act" means the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023(U.P. Act no.15 of 2023);
- **(b)** "Committee" means a committee constituted by the Commission or the Chairperson from amongst its

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Members;

- (c) "Examination" means the examination conducted for the selection of a teacher or instructor;
- (d) "Interview" includes viva-voce or personality test;
- (e) "Officer" means an officer of the Commission and includes the Secretary, Controller of Examinations, Finance Controller and Deputy Secretary;
- (f) "Secretary" means the Secretary of the Commission;
- (g) "Section" means a section of the Act:
- (h) "Substantive Appointment" means an appointment to a post of a teacher, not being an ad hoc appointment, made in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder;
- resulting from the death, retirement, resignation, termination, dismissal, or removal of a teacher or the creation of a new post or substantive promotion or appointment of an official to a higher post;
- Words and expressions **(2)** herein and not defined but defined Uttar Pradesh the State in Universities, Act, 1973, (U.P. Act no.10 of 1973), the Intermediate Education Act, 1921, (U.P. Act no.20 of 1921), the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, (U.P. Act no.34 of 1972), the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996,

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(Act no.27 of 1996) or the Uttar Pradesh Education Service Selection Commission Act, 2023, (U.P. Act no.15 of 2023), the Uttar Pradesh Government Industrial Training Institutes and (Instructors Foreman Instructors) Service Rules, 2021 shall have the same meanings as respectively assigned to them in the said Acts and rules.

Chapter – II Constitution of the Commission and Staff of the Commission

Selection Criteria and Procedure

- 3 (1)
- There shall be a Search Committee for the selection of Members and Chairperson of the Commission which shall consist of the following members:-
- (a) Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh Chairperson
- (b) Additional Chief / Principal Secretary Department of Appointment and Personnel, Government of Uttar Pradesh – Member
- (c) Additional Chief / Principal Secretary, Department of Basic Education, Government of Uttar Pradesh – Member
- (d) Additional Chief / Principal Secretary, Department of Secondary Education, Government of Uttar Pradesh Member
- (e) Additional Chief / Principal Secretary, Department of Higher Education, Government of Uttar Pradesh – Member Secretary

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- (2) The said Search Committee: -
 - (a) shall prepare a list for selection to the post of Chairperson and Members. The application form of the concerned candidates, in accordance with the qualifications mentioned in section 4 of the Act, shall be invited online/offline within 25 days from the date of advertisement;
 - conduct shall detailed **(b)** examination of the applications/ bio-data received regarding the vacancies for the post Chairperson/Members, particularly in respect of their educational qualifications, administrative experience, notable work done by them in the field of education, and details of the credentials, competence, and integrity of the said candidates;
 - (c) shall verify the records pertaining to the qualifications and background of the candidates through the concerned institutions, and the records pertaining to the same shall be placed on record;
 - recommend. after the (d) shall examination of the bio-data of the candidates, the names of 5 candidates, as far as possible, for the post of Chairperson of the Commission and 3 times, as far as possible, the total number of vacancies to be filled for the post of Member, but if any name is objected to by 2 Members of the Search Committee, the name of the concerned candidate will not be included in the shortlist.

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- As per the recommendation of the Search Committee for selection/appointment to the post of Chairperson/Member, the list of shortlisted candidates shall be presented to the Hon'ble Chief Minister for approval.
- Under section 3 of the Act the following procedure shall be adopted for character and antecedent verification of the proposed names before the approval of the Hon'ble Chief Minister:-
 - (a) on selection of serving officers of the Government of India / State Government / other States, No Objection Certificate and Vigilance Check / No Departmental Proceedings Certificate will be obtained from their respective department;
 - (b) before giving appointment to persons of the Government of India / State Government / other States who have retired, information about their antecedents shall be obtained from the concerned department or other sources, as deemed appropriate;
 - in case of academicians from educational institutions of the State or outside the State, their character and antecedents verification report shall obtained from the Superintendent of Police of the district concerned to their native place as well as the present place of residence, which shall be countersigned by the District Magistrate of the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

concerned district;

- (d) in case of non-official persons from State or outside the State, their character and antecedents verification shall report be obtained from the Superintendent of Police of the district concerned to their native place of residence and of the present place of residence, which shall he countersigned by the District Magistrate of the concerned district.
- The appointment orders of the Chairperson and Members shall be issued only if the reports regarding the character and antecedents, issued in accordance with the above procedures, are found to be satisfactory.

Disqualification

4

A person shall be ineligible to be appointed or to continue as Chairperson or a Member, if he:-

- (a) is adjudged insolvent by a Court of law; or
- (b) engages, during his term of office, in any paid employment outside the duties of his office; or
- (c) is, in the opinion of the State Government, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body or of proved misconduct; or
- (d) has been convicted of any offence involving moral turpitude or financial embezzlement;
- (e) is a Member of Parliament or a State Legislature; or
- (f) is not a citizen of India, or has voluntarily or otherwise acquired

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

the citizenship of, or professes allegiance or adherence to, a foreign State.

Investigation of Misconduct

5

The procedure for investigation and proving misconduct for a Chairperson or a Member, as referred to in sub-section (2) of section 6 of the Act, shall be as follows:-

(1) Where, on a complaint or otherwise, the State Government is satisfied, whether after conducting a preliminary inquiry or otherwise, that a prima facie case of misconduct exists, it shall give the concerned Chairperson or Member an option either to resign from the office unconditionally or to face investigation.

If no unconditional resignation is received within fifteen days from the date of grant of such option, the State Government may appoint an Inquiry Officer who shall be a sitting or retired Judge of the High Court or such person who is eligible to be appointed as a Judge of the High Court.

(3) The Inquiry Officer shall, after giving a reasonable opportunity of being heard to the concerned Member or the Chairperson and after taking such evidence as he may deem necessary, submit his findings to the State Government within 15 days of the completion of the inquiry. No important work shall be allotted to the concerned Member or Chairperson during the investigation.

(4) In conducting such inquiry, the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Inquiry Officer shall be guided by the rules of inquiry and the principles of natural justice and shall not be bound by formal rules relating to the procedure of inquiry.

- The provisions of the Uttar Pradesh Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of Witnesses and Production of Documents) Act, 1976 (U.P. Act no. 4 of 1976) shall apply to such inquiries.
- If, for any reason during the course of the trial, the Inquiry Officer is changed, it shall not be necessary for the new Inquiry Officer to start the inquiry afresh, and the inquiry may be continued from the stage at which the Inquiry Officer is changed.

Subject to the provisions of these rules, the Inquiry Officer shall have the power to regulate the procedure of the inquiry, including the fixing of the place and time of its meeting and to decide whether the inquiry should be held in public or *in-camera*.

6 (1)

Officers and Staff

In the Commission, a Secretary, who is an IAS/PCS officer not below the rank of Special one Controller of Secretary, Examinations (equivalent to, at or above Grade Pay 7600 Pay Level one Finance Controller 12), (equivalent to, at or above Grade Pay 8700 Pay Level 13), one Law Officer of the Judicial Service (equivalent to, at or above Grade Pay 7600 Pay Level 12), one

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2)

Finance & Accounts Officer (equivalent to, at or above Grade Pay 5400 Pay Level 10), one outsourced Computer & I.T. Coordinator, and four Deputy Secretaries (equivalent to, at or above Grade Pay 6600 Pay Level 11), shall be appointed by the State Government on deputation for a period not exceeding three years and shall have such other conditions of service as the State Government may, by order. determine. On the of recommendation the Commission, the State can increase Government or decrease the said posts and pay scales.

The services of every full-time employee of the Uttar Pradesh Education Commission and the Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board shall stand transferred to the Commission. Salary, other allowances, selection Pay Scale and promotions, pension, gratuity, family pension, all types of leave, earned leave, medical leave, medical facilities benefits etc.. leave and encashment bonus, Leave Travel Concession (L.T.C.), etc., the age of retirement and all other rules of retirement as are enforced by the Government for the employees of the State Government or as may be issued by the State Government from time to time, shall also be applicable to the employees of the Commission. Similar to

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Government servants, all the facilities of advance for construction/repair of buildings, purchase of vehicles, etc., will also be payable to the employees of the Commission.

(3) The Commission will utilize the transferred serving personnel as necessary.

Leave

(1) The Chairman and Members of the Commission shall be entitled to leave as is admissible to the Chairman and Members of the

Chairman and Members of the Uttar Pradesh Public Service Commission.

Commission

The officers and staff of the Commission shall be entitled to leave as permitted by the State Government.

Chapter – III Procedure of Conduct of Business of the Commission

Meetings

8 (1)

7

Unless otherwise decided by the Commission, the meetings of the Commission shall ordinarily be held on every Tuesday and, if it is not a working day, on the working day immediately following Tuesday. However, Chairperson may, at any time, convene an extraordinary meeting of the Commission if the need arises or if at least two Members submit a requisition in writing for the same to him. The Secretary shall give advance notice of at least twenty-four hours to the Members for the extraordinary

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

meeting.

The date and time of each meeting shall be communicated by the Secretary after obtaining the prior approval of the Chairperson.

(3) The Secretary shall prepare the agenda of the meeting and get the same approved by the Chairperson and shall forward the same to each Member along with the notice of meeting.

(4) The quorum for any meeting of the Commission shall be one-half of the total Members at that time:

Provided that no quorum shall be required for a meeting adjourned for want of quorum.

The Chairman and, in his absence, the senior-most Member present shall preside over the meeting of the Commission. The seniority of a Member of the Commission shall be determined in accordance with the order of seniority of the appointment order issued by the State Government. If two or more members share the same joining date, they will be placed higher in seniority as per the order of seniority of the appointment order issued by the State Government.

As far as possible, the decision taken in the meeting shall be unanimous. In the event of a difference of opinion, the decisions of the Commission shall be taken by a majority of the members present at any meeting. In case of equality of votes, the Chairman shall have the right to a casting vote, which shall be in addition to his usual vote. The

(6)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

dissenting Member may record his dissent note, which shall form part of the proceedings of the meeting but which shall not be sent to the State Government or any other person or authority.

(7) When the Chairperson is absent on account of leave or is unable to attend meeting of the Commission. the senior-most Member shall preside over the meeting and perform the functions of the Chairperson:

> Provided that the list of cases on which decisions have been arrived at and those in respect of which action has been taken during the absence of the Chairman shall be placed before the Chairman immediately on his return from leave, or on resuming duty, as the case may be.

- In case of vacancy in the office of the Chairperson, the senior-most Member of the Commission shall discharge the day-to-day functions of the Commission.
- The Chairperson shall have the right to adjourn or cancel a prescheduled meeting of Commission due to some unavoidable reasons.
 - If the Chairperson is of the opinion that the work to be done by the Commission is excessive and a meeting of the Commission cannot be convenied conveniently, the opinion of the members may be sought by circulating the matter in the form of a proposal. If the opinion is not received from any member within the time specified

(9)

⁽¹⁰⁾

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

by the Chairperson, such Member shall be deemed to have agreed to the proposal.

Procedure for Allocation of Business and Constitution of Committees

(1) (a) The Commission shall, from time to time, allocate work among its members through a Business Allocation Committee. The Chairperson may, in cases of urgency, allocate any work to a member and obtain the approval of the Commission in its next

meeting.

- (b) The Commission may, for the convenient and expeditious conduct of its business, constitute a committee or committees and may authorize a member for the performance of a specific function or for the conduct of a specific business.
- The work allocation made under clause (a) of sub-rule (1) may be amended, changed, or modified, as and when deemed necessary.
- (3) The senior-most Member of the Commission shall be the Convener of the Committee.
- Notwithstanding matters in which the Commission has otherwise directed, the decisions of the Committee in other matters shall be subject to the approval of the Commission.

Powers and Duties of Exam Committee

10 (1)

The examinations conducted by the Commission shall be handled by the Examination Committee. The Examination Committee shall consist of the Chairperson of the Commission, senior-most

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Member, Secretary, Controller of Examination, and Deputy Secretary of the Commission. The Chairperson of the Commission will be the Chairman of the Examination Committee.

Subject to the provisions of the Act and these rules, the Examination Committee shall perform such duties and functions as may be assigned to it under the rules or orders relating to the competitive examinations conducted by the Commission

(3) The Chairman of the Examination Committee shall be responsible for the proper and timely conduct of examinations and for maintaining secrecy thereof.

Unless otherwise prescribed, all contracts relating to such examinations shall be in writing. documents and all and examination shall records be authenticated by the Secretary/Controller of Examinations on behalf of the Commission but shall be issued under the orders of the Chairman. All such records shall be kept under the personal custody of the Secretary / Controller Examinations on the instructions of the Chairman.

All arrangements for the conduct of such examinations shall be made by the Examination Committee in consultation with the Commission and in accordance with such directions as may be issued by the Commission in this behalf

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3)

The Commission shall constitute separate Interview Boards for different posts or categories of posts for which interviews are to be held and may constitute more than one Interview Board where the number of candidates for a particular post is large.

Whenever more than one Interview Board is constituted, it may change the composition of such Interview Board, by rotation, as often as it deems appropriate.

An Interview Board shall consist of at least one Member and two experts, but the Commission may include more than one Member or more than two experts in an Interview Board if it deems it necessary to do so. While constituting the Interview Board for the selection of teachers for minority institutions, a procedure to ensure expert representation from the minority community shall be given:

Provided that where an expert invited for selection has expressed his inability or has otherwise failed to turn up, and there is not sufficient time to invite any other expert from the panel, the Secretary may, with the approval of the Chairperson, invite any other available expert having the qualifications prescribed by the Commission.

- (4) The Interview schedule shall be fixed by the Commission.
- of the interview 10 days in advance through online intimation

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

on the Commission's website/e-mail/SMS and through a release in newspapers.

(6) If any member is unable to attend the Interview Board, the Chairperson may authorize any other member to conduct the interview in his place, and this fact shall not invalidate the proceedings of such Interview Board and the selections made by it.

The senior-most Member present **(7)** on the Interview Board shall chair Interview Board. The proceedings of the Interview Board shall be placed before the Commission for approval as soon after which possible. recommendation shall be issued. Such approval may be obtained by circulation at a meeting of the Commission.

Panel of Experts 12 (1)

The panel of subject-wise experts for the Interview Board shall be prepared by the Commission in accordance with the prescribed procedure from amongst persons who are or have been:

- (i) members of the State Education Service;
- (ii) Professor, Associate
 Professor, or Assistant
 Professor of a University
 established by law in the State
 of Uttar Pradesh, but in the
 case of an Associate Professor
 and Assistant Professor, he
 shall have an experience of
 not less than ten years as such;
- (iii) Principal of aided

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- undergraduate or aided postgraduate colleges recognized by or affiliated to a University established by law in the State of Uttar Pradesh;
- (iv) Assistant Professor or Lecturer of an aided graduate or aided postgraduate college recognized by or affiliated to a University established by law in the State of Uttar Pradesh, having not less than ten years of experience as such;
- (v) Principal of Government undergraduate or aided postgraduate colleges;
- (vi) Assistant Professor or Lecturer of a Government undergraduate or postgraduate college, having not less than ten years of experience as such;
- (vii) Principal of Government Intermediate College (for interview of Lecturer and Assistant Teacher of Intermediate College or High School);
- (viii) Principal Category-1 Government **Industrial** Training Institute, under the Department of Vocational Education, Skill Development and Entrepreneurship, with at least 10 years of experience, Joint Director (Trainee/Apprentice) or Additional Director (Trainee/Apprentice).
- (2) The selection of experts from the panel of experts prepared under sub-rule (1) shall be done by the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Chairperson.

- (3) The panel of experts shall be a secret document and shall be kept in safe custody in a sealed cover by the Secretary or by any other Gazetted Officer under his specific direction or order and shall be produced on the written request of the Chairperson.
- (4) The panel of experts constituted under of sub-rule (1) shall, as far as possible, be revised once every three years.
- **(5)** expert appearing Interview Board shall be paid remuneration, at such rate not exceeding the rate prescribed by the Uttar Pradesh Public Service Commission. as mav determined by the Commission from time to time, and travelling allowance in accordance with the Government Order issued by the State Government at that time. Under special circumstances, experts from outside Uttar Pradesh shall be given admissible airfare with the approval of the Chairperson.

Power and Duties of Chairperson

13 (1)

Subject to the provisions of the Act, the Chairperson shall exercise the administrative, disciplinary and financial powers of the Commission, and shall:-

- (a) preside over all meetings of the Committees of which he is a member:
- **(b)** coordinate the working of the Commission and its members;
- (c) be the controlling officer of the members for the purposes of

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

sanctioning casual leave and passing of travelling allowance bills:

- (d) have the power to supervise the working of the officers and staff of the Commission.
- (2) If the Chairperson is unable to discharge his duties on account of his absence or for any other reason, he may, by general or special order, authorize any member to discharge such duties:

Provided that all such matters with respect to which a decision or action has been taken during the period of the Chairperson's absence shall be placed before him for information as soon as he resumes the charge of his office.

Subject to the provisions of the Act and the rules made there under and the decisions of the Commission, a Member shall assist the Chairperson in the selection of candidates for the various categories of posts and shall perform such other duties as may be assigned to him by the Chairperson.

The Secretary shall be the administrative head of the Commission and shall act in accordance with the provisions of the Act and the rules made there under and the decisions of the Commission and the Chairperson. He shall be the controlling officer

He shall be the controlling officer of the officers and staff of the Commission and shall assign their

Power and Duties of Members

14

15

(1)

(2)

Powers and Duties of Secretary

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

duties.

- (3) The appointment of such employees of whom the Commission is the appointing authority, shall be done by the Secretary with the prior approval of the Commission in accordance with regulations framed under section 28 of the Act.
- (4) The Secretary shall be responsible for:-
 - (i) the maintenance of records of appointments of officers and other staff of the Commission;
 - (ii) the quarterly submission of the head-wise report of expenditure to the Commission for its information and reference;
 - (iii) the submission of annual report of the activities of the Commission to the State Government after obtaining the approval of the Chairperson;
 - (iv) the discharge of any work assigned by the Commission or the Chairperson;
 - (v) the discharge of all work relating to interviews in accordance with the regulations formed under section 28 of the Act by the Commission;
 - (vi) the maintenance of record of names of selected candidates and selection records:

The Controller of Examinations shall be the controlling authority for all functions relating to the conduct of examinations and evaluation of answer sheets of the

Powers and Duties of the Controller of Examinations

(1)

16

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Commission and shall act in accordance with the provisions of the Commission and the Examination Committee's decisions.

(2) He shall also be responsible for:-

- (i) provision of examination centers, center superintendents, and room invigilators;
- (ii) allotment of Roll Numbers and provision of Admit Cards to the examinees/candidates;
- (iii)proceedings of selection of candidates for various categories of posts from the stage of advertisement for inviting applications to the stage of forwarding the panel of selected candidates;
- (iv)proper and timely scrutiny of application forms.

The Controller of Finance shall, in accordance with the decisions of the Commission and the Chairperson's decision, perform all duties relating to accounts under the government rules and shall, through the Secretary, furnish to the Commission his information and report on headwise expenditure.

The Deputy Secretary shall act in accordance with the decisions of the Commission and the Chairperson. In the absence of the Secretary or when the office of the Secretary becomes vacant, all his powers and duties shall be discharged by the Controller of Examinations.

Powers and Duties of the Controller of Finance

Powers and Duties of the 18 Deputy Secretary

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Office Hours and Holidays of Commission

- 19 **(1)**
- The office hours of the Commission will from 10.00 AM to 5.00 PM.
- **(2)** The working week shall be a sixday working week and shall also be covered by the guidelines issued by the Government from time to time in this regard.
- Officers and other employees of **(3)** the Commission may be asked to work before or after office hours if it is necessary and expedient to do
- **(4)** Other holidays of the Commission will be the same as those of the Uttar Pradesh Public Service Commission.

Chapter- IV **Qualification (Qualifications of Teacher/Instructor)**

Nationality

20

For direct recruitment to a post of teacher or instructor, it shall be necessary that the candidate must

- (i) a citizen of India; or
- (ii) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- (iii)a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

belonging to category (ii) will also be required to obtain a certificate of eligibility issued by the Deputy Inspector-General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided further that if a candidate belongs to category (iii) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note:-A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to the interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favor.

The age of the candidate for selection to any post of Teacher or Instructor shall be as on the 1st day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised by the Commission, as the case may be, in accordance with the relevant Acts / Service Rules / University Statutes / Instructions issued from time to time by the State Government.

In the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other such categories of Uttar Pradesh, the upper age limit will be higher by

Age 21 (1)

(2)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

such number of years as may be specified by the Government.

Educational 22
Qualifications/Reservation/
Requisition for the
Candidates

The qualifications of the candidates for selection to a post shall be as per the relevant Acts / service rules / University Statutes in force at that time. The Authorized Officer will decide on the reservation and the requisition of posts to be filled.

Character 23

For selection to a post of teacher or instructor, the character of a candidate shall be such as to render him suitable in all respects for employment in an educational institution. The Commission shall satisfy itself on this point.

Note.-Persons dismissed by the Union Government or a State Government or a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or any State Government shall not be eligible Persons for appointment. convicted of an offence involving judicial insolvency and moral turpitude shall also not be eligible.

Marital Status 24 No person-

- a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or
- b) who, having a spouse living, has entered into contracted marriage with a person. shall be eligible for appointment.

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Physical Fitness	25	(1)	No candidate shall be eligible for selection to the post of a teacher or instructor, as the case may be, unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.	
		(2)	Before a candidate is finally selected for appointment, he shall be required by the Commission to produce a medical certificate of fitness from the Medical Officer of any Government hospital or Primary Health Center.	
Prohibition to Appoint a Male Candidate in a Girl/Women's Institution	26		No male candidate shall be eligible for appointment to the post of a teacher or instructor in any girls/women's institution.	
Chapter- V Procedure of Recruitment				
Source of recruitment	27		The sources of recruitment in different categories of teachers shall be the same as mentioned in the respective Acts/Service Rules/University Statutes.	
Determination and Notification of Vacancies	28	(1)	For the purpose of direct recruitment, the Appointing Authority or Management or Authorized Officer shall determine the number of vacancies in accordance with subsection (1) of section 10 of the Act and notify the vacancies through the Director (Higher Education) or	

the

Director

(Secondary

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Education) or the Director (Basic Education) or the Director (Training and Employment) or the Director General of Atal Residential Schools, as the case may be, to the Commission in the manner hereinafter provided.

The statement of vacancies for each category of post to be filled in by direct recruitment, including the vacancies that are likely to arise due to retirement on the last day of the year of recruitment, shall be sent by the Appointing Authority or Management or Authorized Officer by July 15 of the year of recruitment to the Authorized Officer under sub-rule (1), and the Authorized Officer shall, after verification from the record of his office, prepare consolidated statement vacancies regarding the vacancies of each category of post, subjectwise and reserved category-wise. The consolidated statement so prepared shall be sent by the Authorized Officer to the Commission by July 31 of the same year of recruitment:

Provided that if the State Government is satisfied that it is expedient to do so, it may, by order in writing, fix other dates for notification of vacancies to the Commission in respect of any particular year of recruitment.

If, after the vacancies have been notified under sub-rule (2), any vacancy in the post of a teacher or instructor occurs, the Appointing Authority or Management or

(2)

⁽³⁾

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Authorized Officer shall, within fifteen days of its occurrence, notify the Authorized Officer in accordance with the said sub-rule and the Authorized Officer shall within ten days of its receipt by him send it to the Commission.

Where, for any of year recruitment, the Appointing Authority or Management or Authorized Officer does not notify the vacancies by the date specified in sub-rule (2) or fails to notify them in accordance with the said sub-rule, the Authorized Officer shall on the basis of the record in his office, determine the vacancies in such institution in accordance with sub-section (1) of section 10 of the Act and notify them to the Commission in the manner and by the date referred to in the said subrule.

Explanation: The vacancies notified to the Commission under this sub-rule shall be deemed to be notified by the Appointing Authority or Management or Authorized Officer of such institution.

The posts of notified vacancies shall not be filled by a single transfer:

Provided that in special circumstances, if a single transfer is necessary, then it will be necessary to bring the said process to the notice of the Commission as soon as possible, and the vacant posts as a result of the single transfer will be considered included in the posts notified by

⁽⁴⁾

⁽⁵⁾

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

the Director, and this vacancy will also be covered by the same selection process. After the commencement of the selection process, no single transfer will be done under any circumstances.

The Commission shall, in respect

of the vacancies to be filled by

direct recruitment, advertise the

Notification of Vacancies and Submission of Application Forms

29 (1)

vacancies, including those reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and other reserved categories as applicable to Government service from time to time, in at least two daily newspapers, having wide circulation in the State and will invite online applications to be considered for selection. The Commission shall also display such notification on its website.

If the process of selection against the advertised posts is not started within three years, then the said advertisement can be cancelled by the Commission and the Commission will have the right to advertise it again.

(3) For the selection of teachers in minority institutions, advertisement for vacancies shall be published separately and in their selection process, one expert representative from minority community shall be additionally placed on the Interview Board.

Procedure of Selection

30 (1)

The Commission shall scrutinize the applications and in respect of

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

the post of teacher and instructors shall conduct written examination. The written examination shall consist of one objective type question (General paper Knowledge and related optional subject) of two hours duration. 90 percent of the total marks will be for written examination and 10 percent of total marks will be for interview. Where there will be no interview, there will be 100% marks for the written test. The total marks will be decided by the Commission.

(2) As far as possible, the centers for conducting written examination shall be fixed in district headquarters and the only invigilators shall be paid honorarium at such rate as the Commission may fix.

The examination centers for the examination written will be determined according the Government Order No. 15/24/2018- Ka-4-2018 dated November 20, 2018 of the Department of Appointment and Personnel and the instructions issued by the State Government from time to time.

Principal of undergraduate and postgraduate colleges, a merit-wise selection list will be issued by consolidating the marks in written test, Academic Performance Index (API) marks, and interview marks. There will be one objective-type question paper (General Knowledge and

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Administrative Aptitude) for the written test. API will be calculated under the amended standards of the University Grants Commission.

- The Commission shall evaluate the answer sheets through an examiner to be appointed by the Commission or through Computer and the examiner shall be paid an honorarium at the rate to be fixed by the Commission.
- Where an interview is necessary, 10 percent marks will be kept for the interview. The guiding principles for interview marks will be general knowledge, personality test, and ability of expression.
 - The number of candidates to be called for interview from among the candidates who passed the written examination will be 3 to 5 times the number of vacancies, as the Commission may consider appropriate, all the candidates obtaining the final score (cut-off) will be invited for the interview.

In consultation with the subject

experts in the Interview Board, marks will be given by the Chairman of the Interview Board.

(9) In order to maintain the fairness and sanctity of the selection, the marks of the candidates shall not be disclosed before the final result

of the selection process.

(10) For the posts of teacher or instructor, where an interview is necessary the Commission will add the marks obtained in the written examination and interview; and where only the

(8)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Intimation of Names of 31 (1) Selected Candidates written examination is to be held the Commission will consider marks obtained in the written examination only and shall prepare a panel of those found most suitable in the order of merit as per the advertisement. If more than one candidate has the same merit, then in such a situation, the marks of the written examination will be considered first and in case marks of the written the examination are also the same, then the marks obtained in the interview will be considered. If the marks are still the same, then maximum percentage of compulsory qualification / Ph.D. and J.R.F., N.E.T. and Ph.D., J.R.F., N.E.T., Ph.D. will be considered, and if all are equal still, then marks of postgraduate will considered. If percentage of marks in written interview. and essential qualifications are the same, then the name of the candidate who is older will be placed higher.

The Commission will forward the panel prepared as per sub-rule (10) of rule 31 against the advertised vacancies to the Authorized Officer sending the requisition. The Authorized Officer will send it to the Appointing Authority or Management or any officer of the institution authorized in this behalf. after allotting the institution. The institution allotment will be done by the Authorized Officer in the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- following manner:-
- (a) by displaying the information of notified vacancies on the departmental website, the online preference of five institutions will be taken from the candidates named in the panel;
- the candidate whose name is at the top of the panel will be allotted to the institution of first preference given by him. Where a selected candidate cannot be allotted the institutes of his preference on the ground that such institutes have already been allotted to the candidates ranked higher than him in the panel and that there is no vacancy among them. Authorized Officer may allot him to any institute which he may deem fit:
- (2) (a) The Authorized Officer shall, as per clause (b) of sub-rule (1) of rule 29, forward the list along with the names of the institutions allotted to the selected candidates to the Appointing Authority or the Management or the Authorized Officer.
 - (b) The Appointing Authority or the Management or the Authorized Officer shall inform the Director about compliance within one month of the receipt of the recommendation sent by the Authorized Officer.
 - (c) The Appointing Authority shall intimate the name of the selected candidate to the Appointing Authority or Management or Authorized Officer of the institution which has notified the

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

vacancy, with the direction that on an authorization under a resolution of the Appointing Authority or Management or Authorized Officer, an order of appointment, be issued to the candidate by registered post

The order of appointment shall be **(3)** sent to the candidate with the direction to report to the Appointing Authority or Authorized Management or Officer within fifteen days of the receipt of the order of appointment by him from the Appointing Authority or Management or Authorized Officer or within such extended time, not exceeding 30 days from the date of receipt of the order of appointment through registered post, as may be allowed him. by the Appointing Authority or Management or Authorized Officer; and also intimating him that on his failure to join within the specified time, his appointment shall be liable to be cancelled

The Appointing Authority or the Management or the officer of the Institution authorized in this behalf shall also send a copy of such appointment letter to the Authorized Officer by registered post and e-mail.

The Director shall monitor and ensure that the candidate selected by the Commission joins the institution within the specified time, and for this purpose he may issue such directions to the Appointing Authority or the

(4)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Management or the Authorized Officer as he may deem appropriate.

- Where the candidate selected by **(6)** the Commission could not join the allotted institution due to requisition erroneous or appointment of a dependent of an employee dying in harness or any order of the Hon'ble Supreme Court or High Court or abolition of the post, then the following procedure will be followed for adjustment of such candidate:-
 - (a) such a selected candidate will have to submit his representation to the Director, mentioning the reasons for not taking charge;
 - the Director shall, after detailed inquiry on the representation submitted by the candidate, fix responsibility against responsible institution or Appointing Authority for sending erroneous requisition and send a report to the Commission along with his recommendation for adjustment of the selected candidate;
 - (c) on the basis of the report and recommendation of the Director, the Commission shall adjust the selected candidate against the non-advertised requisition and shall send, after adjustment, the selected panel/list to the Director of the concerned department.
 - (d) on the basis of the panel/list sent under clause (c), of sub-rule (4), the Director of the concerned department will direct the Appointing Authority to give

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

charge to the selected candidate as per the provisions of section 11 of the Act.

Chapter – VI Written Test, Interview and Other Miscellaneous Tasks

Written Test and Interview

32 (1)

It will be mandatory for the candidates invited for an interview, on the basis of written examination, to be given a minimum 40 percent marks out of the prescribed marks for the interview, and as far as possible maximum marks can be given up to 90 percent.

from the successful candidates in the written examination, the number of candidates to be interviewed in one board in a day and the number of boards to be conducted daily will be decided by the Examination Committee as may be necessary.

List of Examiners and Paper-Setters, etc.

33 (1)

The Chairman of the Examination Committee shall prepare for every subject, a list of persons qualified for appointment as examiners and submit the same for the approval of the Commission. Such list shall be revised at least once in every three years:

Provided that any person included in the previous list shall be eligible for inclusion in the revised list.

(2) The list referred to in sub-rule (1) shall contain, as far as possible, information about the persons included therein with regard to their academic qualifications,

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

designation and teaching experience at the postgraduate level or professional experience, and the particulars of the earlier examinations conducted by the Commission in which they acted as examiners.

- (3) The Chairman of the Examination Committee shall, with the prior approval of the Commission, appoint Paper Setters and Moderators from amongst the persons included in the list referred to in sub-rule (1).
- In making such appointments, **(4)** every care shall be taken to ensure that no person is so appointed who has been found guilty misconduct by any University, Government, Government or Body or against whom any inquiry or investigation is pending on the allegations of misconduct, whose integrity is doubtful. Any person, whose work as Head Paper Examiner. Setter. Evaluator is found to be unsatisfactory by the Commission shall not be reappointed for that purpose.

Setting, Moderation and Printing of Question Paper

34 (1)

Each question paper shall be set by three different question Paper Setters who shall not belong to the same place.

- The sealed question papers received from the question Paper Setters will be kept in the custody of the Chairman of the Examination Committee.
- (3) The sealed envelopes containing question papers received from

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

three Paper Setters shall be handed over to the concerned Moderators by the Chairman of the Examination Committee against a receipt.

the Moderators shall moderate all the three question papers, place them in separate covers under their seal without making any mark of identification on the cover, and hand them over to the Chairman of the Examination Committee against a receipt.

The Chairman of the Examination Committee shall choose any of the two moderated question papers of a subject without opening the sealed covers and send it as such to the printing press, which shall be responsible for printing the question papers including the proof-reading, and for preparing packets of question papers for all examination centers under its seal, in accordance with information furnished by the Examination Committee.

The printing press and the Chairman shall be responsible for maintaining the secrecy of the question papers, and the Chairman of the Examination Committee shall issue necessary directions and take necessary precautions to ensure such secrecy.

On the decision of the Commission to conduct offline examination, the printing of O.M.R. sheets and evaluation of answer sheets will be done separately by a reputed agency

Printing of O.M.R. Sheet and Evaluation of Answer Sheets

35 (1)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

outside the State of Uttar Pradesh. While appointing of such agency special care will be taken that the said agency is registered and has a good reputation and no adverse facts have been found against it in any State.

(2) The said agency shall be appointed by the senior-most Member of the Examination Committee (other than Chairman) which shall be bound to comply with all directions given by the senior-most Member and all responsibility relating to the confidentiality of that work shall lie with the institution and the senior-most Member.

> Printing of O.M.R. sheets. evaluation of answer sheets, and other works will be done by the above-appointed organization and the relevant form will be provided by the organization to the seniormost Member of the Examination Committee in a sealed envelope.

> The Commission shall be at liberty to determine and set its own procedure in respect of the examinations which it decides to conduct online.

> No recommendation, whether written or oral, other than those required under the rules applicable to a post, shall be considered. Any attempt on the part of a candidate enlist support directly or for himself indirectly shall disqualify him for appointment.

37 Each candidate shall pay to the **(1)**

(4)

Canvassing

Fees

36

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Commission such fee for selection or interview as may be determined by the Commission from time to time with the prior approval of the State Government.

The examination fee shall be payable online or by undersigned postal order or bank draft payable to the Secretary of the Commission, or as may be detailed by the Commission.

Conduct of Examination 38 (1)

All arrangements for the conduct of examinations shall be made in accordance with such instructions as may be issued by the Commission in this behalf.

- The Commission shall be responsible for the proper and timely conduct of such examinations and for maintaining their confidentiality.
- (3) All contracts relating to examinations shall be in writing and all documents and records relating to examinations shall be kept in the personal custody of the Controller of Examinations.

By order,

M.P. Agarwal Pramukh Sachiv

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-44/2023/3118 (1)/ सत्तर-5-2023-25/2019टी0सी0-18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की हस्ताक्षरित एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचनाओं को दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 1000 प्रतियां उच्च शिक्षा अनुभाग-5, 30प्र0 सचिवालय, नवीन भवन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय तथा लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
- 8- रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 9- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज।
- 10-निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त अनुभाग, उच्च/माध्यमिक/बेसिक/व्यावसायिक शिक्षा/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 12-गार्ड फाइल।

आजा से, संजय कुमार द्विवेदी अन् सचिव।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।